

स्थानीय निकाय चुनावों में OBC कोटा

प्रलिस के लिये:

OBC आरक्षण, शहरी स्थानीय निकाय ।

मेन्स के लिये:

स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने मध्य प्रदेश को [स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पछिड़ा वर्ग \(OBC\)](#) को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी, जो आँकड़ों की कमी के कारण कोटा को नलिंबति करने वाले पहले के आदेश को संशोधित करता है ।

- वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में केवल [अनुसूचित जाति](#), [अनुसूचित जनजाति](#) और महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान है ।
- यह पहली बार है कि किसी राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में OBC को आरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष न्यायालय द्वारा अनिवार्य [ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले](#) को मंजूरी देने में कामयाबी हासिल की है ।
- इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने [दिसंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया](#), जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनावों में [अन्य पछिड़ा वर्ग \(OBC\)](#) के लिये 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी ।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने [महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में OBC कोटा खत्म कर दिया](#) तथा ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य में इसी तरह के एक कदम को रद्द कर दिया क्योंकि यह अभ्यास ट्रिपल टेस्ट से नहीं गुज़रा था ।
- मार्च 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2010 में नरिधारति तीन शर्तों का पालन करने के लिये कहा था- ओबीसी जनसंख्या से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिये एक समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को नरिदष्टि करना और यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित सीटों का संघयी हिससा कुल सीटों के 50% की नरिधारति सीमा का उल्लंघन न करे ।

नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश द्वारा गठित तीन सदस्यीय अन्य पछिड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए [राज्यों को OBC सीटों को अधिसूचित करने का नरिदेश दिया](#) ।
- इस आयोग ने राज्य में OBC की आबादी को 48% नरिधारति किया और प्रत्येक नगरपालिका सीट पर अलग-अलग मात्रा में आरक्षण की अनुमति दी, जिसे अधिकतम 35% तक बढ़ाया गया ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को राज्य सरकार द्वारा पहले से जारी [परसीमन अधिसूचनाओं](#) को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थानीय निकायों के लिये चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने की अनुमति दी ।
- यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के बाद पारित किया गया था, जिसने अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956; मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन को चुनौती दी थी ।
- इन संशोधनों द्वारा राज्य सरकार ने [संबंधित स्थानीय निकायों में वार्डों की संख्या और सीमा नरिधारति करने के नरिणय](#) को अपने अधिकार में ले लिया था ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2010 में दिया गया नरिणय:

- के. कृष्णमूर्ति बिनाम भारत संघ वाद (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच-न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की व्याख्या की थी, जो एक कानून के अधिनियम द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण की अनुमति

देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएँ, शिक्षा एवं रोज़गार तक पहुँच को सीमिति करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं।

- समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदों द्वारा अनविर्य है जो कि आरक्षण के लिये एक अलग संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोज़गार में आरक्षण की परकिल्पना की गई है।
- यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, कतिु सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पछिड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है।

स्थानीय सरकार:

- स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए हैं।
- स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी दोनों निकाय शामिल हैं।
- यह सरकार का तीसरा स्तर है।
- स्थानीय सरकारें दो प्रकार की होती हैं- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ।

वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है: (2017)

- (d) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
- (c) प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: B

- लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक-से-अधिक शक्ति देना। स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकरण एवं सहभागी लोकतंत्र के साधन के रूप में देखा जाता है।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय वसति सेवा (1953) के कामकाज की जाँच करने एवं उचित उपायों का सुझाव देने हेतु भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जनवरी 1957 में समिति का गठन किया।
- समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की स्थापना की सिफारिश की जसि अंततः पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में जाना गया।

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. किसी भी व्यक्तिको पंचायत का सदस्य बनने के लिये नरिधारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
2. समय-पूर्व वधितन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधिके लिये जारी रहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिये आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- भारतीय संविधान की धारा 243E(4) के अनुसार, पंचायत की कार्यावधि की समाप्ति से पहले पंचायत के वधितन पर गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिये जारी रहेगी। अतः कथन 2 सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

